छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर

क्र./पंचा.–1483/पंग्राविवि/22/2016/ 385 नया रायपुर, दिनांक 10/06/2016

प्रति,

1. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत – छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत – छत्तीसगढ़

विषय :– प्रॉक्सी शिक्षक के संबंध में।

—000—

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा–24 (1) (ए) के अंतर्गत विद्यालयों में नियुक्त शिक्षक अपने कर्तव्य के अंतर्गत विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय का पालन करने का प्रावधान है। शिक्षक शिक्षा की धुरी है, इस हेतु यह आवश्यक है कि शाला प्रबंध समिति, संकुल स्त्रोत केन्द्र एवं विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें कि शिक्षक विद्यालयों में नियमित रूप से समय पर उपस्थित हो रहे है।

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश के कतिपय विद्यालयों में शिक्षक अपने स्थान पर एवजीदार शिक्षक रखकर विद्यालयों में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो रहे है। यह घटनाएँ अधिकांशतः दूरस्थ क्षेत्र में विशेष रूप से पाये जाने के संकेत प्राप्त हुए है। इस व्यवस्था को दृढ़तापूर्वक रोका जाना अनिवार्य है, जिससे शालाओं में शिक्षण में गुणवत्ता बनी रहे।

एवजीदार शिक्षकों के द्वारा शिक्षण व्यवस्था कदापि मान्य नहीं होगी। इसे समाप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय के शिक्षकों की जानकारी नियमित रूप से उस स्थान विशेष के समुदाय के लोगों को हो। इस हेतु विभिन्न आवश्यक उपाय के तहत् एक उपाय यह भी है कि उस शिक्षकों के फोटो को विद्यालय के सूचना पटल में शाला परिवार के सदस्य के रूप में चस्पा किया जाए, जिससे कि अभिभावकगण यह पहचान सके कि उन विद्यालयों में वास्तविक शिक्षक ही अध्यापन का कार्य कर रहे है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में यह सुनिश्चित करें कि शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी अपने पदस्थापना विद्यालय में अध्यापन का कार्य करें। समय–समय पर पंचायतों द्वारा इसका सत्यापन भी कराया जावे।

(एम.के. राउत) 8/6/2016
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग